वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद आजमगढ़

सी.यू.जी. – 9454400250, दूरभाष- 05462-260403, ई-मेल- spazh-up@nic.in

पत्र संख्या- 267/2025 **प्रेस-नोट, जनपद आजमगढ़** दिनांक-28.07.2025

हेमराज मीना, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, आजमगढ़ के निर्देशन में अपराध व अपराधियों पर अंकुश एवं प्रभावी नियन्त्रण बनाये रखने के क्रम में आज दिनांक- 28.07.2025 को ***आजमगढ़ पुलिस द्वारा निम्नवत कार्यवाहियां की गयी है-***

01.थाना बिलरियागंज: बैनामा के नाम पर 20 लाख रुपया लेकर, बैनामा करने से मना व फर्जी चेक देने वाला वांछित 01 अभियुक्त गिरफ्तार

पूर्व का विवरण-

दिनांक 19.06.25 को दीपक सिंह पुत्र राणा प्रताप सिंह निवासी ग्राम पड़री परानपुर, थाना बिलरियागंज, जनपद आजमगढ़ द्वारा प्रा0पत्र दिया कि मै टाईल्स एवं विल्डिंग मैटेरियल का कारोबारी हूँ। सूर्य प्रताप सिंह पुत्र प्रमोद सिंह व प्रमोद सिंह पुत्र छक्कन सिंह निवासी ग्राम रत्सड़ कला, थाना गड़वार जिला बलिया का आना जाना होता है और इसी आने जाने मेरा इन लोगों से परिचय हो गया था। माह फरवरी सन् 2023 में सूर्यप्रताप सिंह व प्रमोद सिंह ने कहा कि मेरा जमीन सड़क के किनारे है जिसे हम लोग बेचना चाहते है वहां प्लाटिंग करके अच्छी कीमत पर उसे बेचा जा सकता है। मै इन लोगों की बातों पर विश्वास करके अपने दोस्त रविकान्त सिंह व गुलशेर अहमद के साथ दिनांक 25.03.2023 को मुल्जिमानों के घर गया और उन लोगों के साथ मौके पर जाकर जमीन देखा जो ग्राम तुर्कीबारी तहसील बलिया सदर जिला बलिया में स्थित गाटा सं0-152 बरकबा 0.7390 हे0 (लगभग 22 विस्वा) में अपने पूरे हिस्से की जो लगभग पाँच विस्वा थी देखा प्रार्थी को जमीन पसन्द आयी जिसकी कीमत मुल्जिमानों से कुल जमीन का तीस लाख रूपये में तय हुआ और बैनामा करने के लिए दो साल का समय तय किया गया यह भी तय हुआ कि आवेदक इस बीच अग्रिम धनराशि के रूप में मुल्जिमानों को भुगतान करता रहेगा और जो भी धनराशि बची रहेगी, बैनामें के दिन उसका भुगतान कर देगा। प्रार्थी व मुल्जिमानों के बीच विश्वास के कारण यह करार मौखिक किया गया था प्रार्थी ने मुल्जिमानों के खाते में एंव उनके द्वारा बताये गये खातों में दिनांक 31.03.2023 से दिनांक 02.09.2024 कुल 20 लाख रूपया अदा कर चुका है। उपरोक्त लोगो से बैनामा करने के लिए कहा तो मुल्जिमानों ने बैनामा करने से मना कर दिया इस पर प्रार्थी ने मुल्जिमानों से अपने द्वारा दिये गये रूपयो की मांग किया पहले तो वे लोग आना-कानी करते रहे बाद में अमित सिंह की मध्यस्थता के कारण अभियुक्त सूर्य प्रताप सिंह ने 20 लाख रूपये का चेक चेक सं0-39099 दिनांकित 22.11.2024 दिया। जिसे भुगतान हेतु प्रार्थी ने यूनियन बैंक आफ इण्डिया शाखा भीमवर आजमगढ़ में प्रस्तुत किया जिसे डिसआनर कर दिया गया। क्योकि जिस खाते से चेक जारी था वह अभियुक्त प्रमोद के नाम से था और सूर्यप्रताप सिंह ने उस पर अपने पिता अभियुक्त प्रमोद सिंह की फर्जी दस्तखत बनाया था। डिसआनर की सूचना मैने मुल्जिमानों को दिया तो दोनों लोग मुकदमा न करने का अनुरोध किये और कहे कि शीघ्र ही आपका भुगतान कर दिया जायेगा। अमित सिंह की मध्यस्थता के कारण प्रार्थी ने मुल्जिमानों के विरूद्ध मुकदमा नहीं किया जिसके कारण मुकदमा टाइमबार्ड हो गया। दिनांक 08.04.2025 को समय 03.00 बजे दिन में मुल्जिमान अमित सिंह के घर आये थे प्रार्थी अपने मित्रों रविकान्त सिंह व गुलशेर अहमद के साथ पैसा मांगने गया तो मुल्जिमान गाली गुप्ता व जान से मारने की धमकी दिये और कहे कि तुम्हारा पैसा नही दूँगा दुबारा मांग किया तो जान से मरवा देगे। तब प्रार्थी तहरीर देकर मुकदमा पंजीकृत कराये। प्रा0पत्र के आधार पर मु0अ0स0 206/25 धारा 406/420/467/471/504/506 भा0द0वि0 पंजीकृत कर विवेचना उ0नि0 लवकुश कुमार को सुपुर्द की गयी।

गिरफ्तारी का विवरण:-

दिनांक 28.07.25 को उ0नि0 लवकुश कुमार मय हमराह द्वारा मुकदमा उपरोक्त से सम्बन्धित वांछित अभियुक्त सुर्य प्रताप सिंह उर्फ आर्यन सिंह पुत्र प्रमोद सिंह ग्राम रतसड़ कला थाना गड़वार जनपद बलिया को भीमबर पुलिया के पास से समय 10.45 बजे भीमबर पुलिया के पास गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार कर अग्रिम कार्यवाही की जा रही है।

पंजीकृत अभियोग –

1- मु0अ0सं0 206/25 धारा 406/420/467/471/504/506 भा0द0वि0 थाना बिलरियागंज आजमगढ़।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता –

1. सुर्य प्रताप सिंह उर्फ आर्यन सिंह पुत्र प्रमोद सिंह ग्राम रतसड़ कला थाना गड़वार जनपद बलिया

गिरफ्तार करने वाली टीम का विवरण:-

1- उ0नि0 लवकुश कुमार थाना बिलरियागंज जनपद आजमगढ़
2- का0 नरेन्द्र कुमार सिंह थाना बिलरियागंज जनपद आजमगढ़

02.थाना अतरौलिया: शादी का झांसा देकर दुष्कर्म करने वाला अभियुक्त गिरफ्तार।

पूर्व का विवरण –

दिनांक 24.06.2025 को वादिनी मुकदमा के द्वारा तहरीर दी गई कि दिनांक 26.03.2025 को विपक्षी सुधांशू तिवारी पुत्र श्यामप्रकाश तिवारी निवासी ग्राम नदौली मंहगूपुर धाहर थाना अतरौलिया जिला आजमगढ़ द्वारा वादिनी को बहला फुसलाकर शादी का झांसा देकर दुष्कर्म करना व वादिनी द्वारा मना करने पर विपक्षी सुधांशु तिवारी व उसके परिवारीजनों द्वारा मारने पीटने व जान से मारने की धमकी देने के संबंध वादिनी की तहरीर पर थाना स्थानीय पर मु0अ0सं0 0214/25 धारा 69,115(2),351(3) बीएनएस बनाम 1. सुधांशू तिवारी पुत्र श्यामप्रकाश तिवारी 2. श्यामप्रकाश तिवारी पुत्र अज्ञात 3. जगदम्बा तिवारी पुत्र अज्ञात 4. मुन्नी देवी पत्नी श्यामप्रकाश तिवारी निवासीगण ग्राम नदौली मंहगूपुर धाहर थाना अतरौलिया जनपद आजमगढ़ के पंजीकृत किया गया।

गिरफ्तारी का विवरणः-

आज दिनांक 28.07.2025 को उ0नि0 विनय कुमार यादव मय हमराह द्वारा मुकदमा उपरोक्त में वांछित अभियुक्त सुधांशू तिवारी पुत्र श्यामप्रकाश तिवारी निवासी ग्राम नदौली मंहगूपुर धाहर थाना अतरौलिया जिला आजमगढ़ को उसके घर ग्राम नदौली महंगूपुर धाहर से कारण गिरफ्तारी बताते हुए समय 10.35 बजे पुलिस हिरासत में लिया गया। गिरफ्तार अभियुक्त को नियमानुसार मा0 न्यायालय/जेल भेजा जा रहा है।

पंजीकृत अभियोग-

1- मु0अ0सं0 0214/25 धारा 79,115(2),351(3) बीएनएस थाना अतरौलिया आजमगढ़।

गिरफ्तार अभियुक्त–

1-सुधांशु तिवारी पुत्र श्यामप्रकाश तिवारी सा0 नदौली थाना अतरौलिया जनपद आजमगढ उम्र 20 वर्ष।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम का विवरण –

1. उ0नि0 विनय कुमार यादव थाना अतरौलिया जनपद आजमगढ़
2. का0 उमेश कुमार थाना अतरौलिया जनपद आजमगढ़।

03.थाना- मेंहनगरः किशोरी को शादी का झांसा देकर दुष्कर्म करने वाला अभियुक्त गिरफ्तार।

पूर्व की घटना/इतिहास का विवरण (संक्षेप में)-

दिनांक 26.7.25 को वादिनी मुकदमा थाना मेहनगर आजमगढ़ ने थाना मेंहनगर पर लिखित तहरीर दी कि विपक्षी संजू सरोज पुत्र बाबूराम पासवान निवासी वार्ड नंबर 6 कस्बा मेहनगर थाना मेंहनगर जनपद आजमगढ़ द्वारा वादिनी की पुत्री को शादी का झांसा देकर दुष्कर्म किया गया। शादी करने को कहने पर गाली-गलौज, मारपीट व जान से मारने की धमकी दी गयी, के सम्बन्ध में थाना स्थानीय पर मु0अ0सं0 387/25 धारा 69, 115(2), 352, 351(3) BNS पंजीकृत कर प्रचलित है।

गिरफ्तारी का विवरण/घटना का अनावरण ....

दिनांक 27.7.25 को निरीक्षक जयप्रकाश यादव मय हमराह द्वारा मु0अ0सं0 387/25 धारा 64/115(2)352/351(3) BNS व 3/4 पाक्सो एक्ट व 67 IT ACT (विवेचना से धारा परिवर्तित) से सम्बन्धित अभियुक्त संजू सरोज पुत्र बाबूराम पासवान निवासी वार्ड नंबर 6 कस्बा मेहनगर थाना मेंहनगर जनपद आजमगढ़ को उसके घर ग्राम कस्बा मेंहनगर से समय 13.00 बजे हिरासत पुलिस में लिया गया तथा घटना में प्रयुक्त एक अदद मोबाइल जब्त किया गया।

गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण:-

1- संजू सरोज पुत्र बाबूराम पासवान निवासी वार्ड नंबर 6 कस्बा मेहनगर थाना मेंहनगर जनपद आजमगढ़

पंजीकृत अभियोग –

1- मु0अ0सं0 387/25 धारा 64/115(2)352/351(3) BNS व 3/4 पाक्सो एक्ट व 67 IT ACT (विवेचना से धारा परिवर्तित)

गिरफ्तारी करने वाली टीम –

1-निरीक्षक जयप्रकाश यादव मय हमराह का0 अभिषेक यादव थाना मेंहनगर जनपद आजमगढ़

04. थाना- महाराजगंजः अपहरण के अभियोग में वांछित एक अभियुक्त गिरफ्तार।

पूर्व की घटना/इतिहास–

दिनांक 25.07.25 को वादिनी थाना कोतवाली महाराजगंज जनपद आजमगढ द्वारा लिखित तहरीर दिया गया कि दिनांक 23.07.2025 को शाम के करीब 06.00 बजे विपक्षी सुहेल s/0 स्व0 अकबर ग्राम- बडहरडीह कोतवाली महराजगंज जनपद आजमगढ़ द्वारा वादिनी की पुत्री को बहला फुसलाकर घर से भगा ले गया है , के सम्बन्ध में थाना स्थानीय पर मु0अ0सं0 208/25 धारा 87/137(2) बीएनएस बनाम सुहेल s/0 स्व0 अकबर ग्राम- बडहरडीह कोतवाली महराजगंज जनपद आजमगढ़ के पंजीकृत हुआ। दौराने विवेचना पीड़िता की बरामदगी करते हुए अभियुक्त की गिरफ्तारी किया गया। जिसकी विवेचना उ0नि0 शैलेश कुमार यादव द्वारा की जा रही है।

गिरफ्तारी का विवरण/घटना का अनावरण–

दिनांक 27.07.2025 को उ0नि0 शैलेश कुमार यादव मय हमराह द्वारा मुकदमा उपरोक्त से सम्बन्धित वाछिंत अभियुक्त 1. सुहेल s/0 स्व0 अकबर ग्राम- बडहरडीह कोतवाली महराजगंज जनपद आजमगढ़ को रोडवेज आजमगढ़ से समय 18.00 बजे सायं में पीड़िता के साथ हिरासत पुलिस में नियमानुसार लेकर अभियुक्त को माननीय न्यायालय रवाना किया जा रहा है।

गिरफ्तार अभियुक्त का विवरणः-

1. सुहेल उर्फ इसहाद s/0 स्व0 अकबर ग्राम- बडहरडीह कोतवाली महराजगंज जनपद आजमगढ़

पंजीकृत अभियोग-

1-मु0अ0सं0 208/25 धारा 87/137(2) बीएनएस पंजीकृत किया गया।

गिरफ्तारी में लेने वाली टीम –

1-प्र0नि0 केदारनाथ मौर्य के नेतृत्व में उ0नि0 शैलेश कुमार यादव मय हमराह म0उ0नि0 पिंकी का0 सत्येन्द्र प्रजापति

थाना- ए0एच0टी0 आजमगढ़ पुलिस ने 01 वर्ष से गुमशुदा/अपहृता 15 वर्षीय किशोरी को जनपद अमृतसर (पंजाब) से बरामद कर परिजनों से मिलाया, 01 अभियुक्त गिरफ्तार।

हेमराज मीना वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, आजमगढ़ द्वारा आपरेशन मुस्कान के तहत अभियान चलाकर अपहृता/गुमशुदा की शीघ्र बरामदगी करने के निर्देश के क्रम में, अपर पुलिस अधीक्षक यातायात के निर्देशन में दिनांक 27.07.2025 को आजमगढ़ पुलिस द्वारा सन् 2024 में जनपद आजमगढ़ के थाना अतरौलिया में पंजीकृत मु0अ0सं0 101/24 धारा 363 भादवि से सम्बन्धित थाना आलापुर जनपद अम्बेडकर नगर की रहने वाली 15 वर्षीय किशोरी को जनपद अमृतसर (पंजाब) से बरामद कर उनके परिजनों से मिलाया गया हैं तथा थाना महराजगंज जनपद आजमगढ़ के रहने वाले अभियुक्त की गिरफ्तारी कर मा0 न्यायालय के समक्ष पेश का किया गया।

घटना क्रम-

अवगत कराना है कि दिनांक 28.03.2024 को वादी मुकदमा थाना आलापुर जनपद अम्बेडकर नगर द्वारा थाना अतरौलिया जनपद आजमगढ़ पर तहरीर दी गयी थी कि वादी की पुत्री उम्र करीब 15 वर्ष जो अपने ननिहाल थाना अतरौलिया जनपद आजमगढ़ आयी थी जो दिनांक 26.03.2024 को घर से बिना बताए कहीं चली गयी है। जिसके आधार पर थाना अतरौलिया जनपद आजमगढ़ पर मु0अ0सं0 101/24 धारा 363 भादवि बनाम अज्ञात पंजीकृत कर विवेचना थाना अतरौलिया से सम्पादित की जा रही थी परन्तु पीड़िता/अपहृता उपरोक्त की बरामदगी न हो सकी। तत्पश्चात वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक आजमगढ़ द्वारा उक्त अभियोग की विवेचना थाना ए0एच0टी0 जनपद आजमगढ़ को दिनांक 23.03.2025 को स्थानान्तरित की गयी।

बरामदगी/गिरफ्तारी का विवरण-

दिनांक 27.07.2025 को प्रभारी निरीक्षक अभयराज मिश्रा थाना ए0एच0टी0 के कुशल नेतृत्व में उ0नि0 उमेश कुमार मय हमराह द्वारा मुकदमा उपरोक्त से सम्बन्धित पीड़िता/अपहृता उम्र करीब 15 वर्ष को उसके मोबाइल नम्बर के लोकेशन के आधार पर थाना क्षेत्र सदर जनपद अमृतसर (पंजाब) से बरामद किया गया। मुकदमा पंजीकृत होने के समय पीड़िता/अपहृता उपरोक्त की उम्र करीब 15 वर्ष थी, जो वर्तमान में नाबालिग है तथा संदिग्ध विजय प्रकाश पुत्र सैलानी नि0 महाजी देवारा जदीद जमनिहावां थाना महराजगंज आजमगढ़ उम्र करीब 38 वर्ष को पीड़िता/अपहृता के साथ पकड़कर लाया गया तथा पीड़िता के बयानों के आधार पर संदिग्ध विजय प्रकाश उपरोक्त का नाम मुकदमा उपरोक्त में प्रकाश में लाया गया। तत्पश्चात् उसके विरूध्द नियमानुसार विधिक कार्यवाही करते हुये जिला कारागार आजमगढ़ भेजा गया।

बरादगी/गिरफ्तारी का स्थानः-

प्रोफेसर कालोनी थाना सदर, जनपद अमृतसर (पंजाब)।

गिरफ्तार अभियुक्त

विजय प्रकाश पुत्र सैलानी नि0 महाजी देवारा जदीद जमनिहावां थाना महराजगंज आजमगढ़ उम्र 38 वर्ष।

पंजीकृत अभियोग-

मु0अ0सं0 101/24 धारा 363/366/376 भादवि व 5J(II)/6 पोक्सो एक्ट थाना अतरौलिया जनपद आजमगढ़।

बरामद करने वाली पुलिस टीम-

प्रभारी निरीक्षक अभयराज मिश्रा, उ0नि0 उमेश कुमार, का0 रोहित मिश्र, म0आ0 अर्चना तिवारी थाना ए0एच0टी0 जनपद आजमगढ़, का0 आलोक कुमार सर्विलांस सेल आजमगढ़